संख्या-18/ 2015/ 45/71-2-15-आर0एम0-14/2014

प्रेषक,

अरिन्दम भट्टाचार्य,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
गोमतीनगर, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 05 फरवरी, 2015**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2014-15 में संस्थान के लिये 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में आयोजनागत पक्ष के अंतर्गत उपकरणों के क्रय हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3748/डा0रा0म0लो0इ0मे0सा0/वित्त एवं लेखा/2014 दिनांक 26 दिसम्बर, 2014 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या-3763/71-2-14-आर0एम0-14/2014 दिनांक 31-12-2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के विभिन्न विभागों के लिए उपकरण/संयंत्र के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-31 के मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण तथा संयंत्र मद में प्राविधानित धनराशि रू0 62,00,00,000/- (रूपया बासठ करोड़ मात्र) को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. **वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर उपकरणों के क्रय की कार्यवाही संस्थान स्तर से सुनिश्चित की जायेगी।**
2. **उपकरणों हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जब उपकरण क्रय संबंधी समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति संस्थान द्वारा पूर्ण कर ली जाये। आहरित धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर आदि में नहीं रखा जायेगा।**
3. **वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22-7-2014 में उल्लिखित दिशा-निर्देशो का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।**
4. **स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।**
5. **उपकरणों का क्रय शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले शासनादेशों एवं प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। यदि किसी उपकरण विशेष की लागत रू0 5 करोड़ से अधिक है तो उनका भुगतान शासन की अनुमति के उपरान्त ही किया जायेगा।**
6. **प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी अन्य मद में व्यय, वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। उपकरणों के क्रय हेतु निर्धारित क्रय प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा। उपकरणों के क्रय में द्विरावृत्ति न हो, इसका पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थान का होगा।**
7. **क्रय किये जाने वाले उपकरण के संबंध में अंतिम भुगतान से पूर्व संबंधित अधिकारी को यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि आपूर्ति किये गये उपकरण उत्तम गुणवत्ता (स्टैन्डर्ड क्वालिटी) के हैं तथा मांगी गयी तकनीकी स्पेसीफिकेशन्स की पूर्ति हो रही है तथा जॉच में भी उपकरण उपयुक्त पाये गये हैं। इस संबंध में पूर्ण जिम्मेदारी संबधित मांगकर्ता/क्रय अधिकारी की होगी।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि क्रय हेतु भण्डार क्रय नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. संबंधित वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि उपकरणों का क्रय किये जाने में व्यापक प्रचार प्रसार किया गया हो और उपकरणों का क्रय न्यूनतम मूल्य पर किया जाय।
10. उपकरणों की सूची में से यदि किसी उपकरण के क्रय में बचत होती है तथा अन्य उपकरण के क्रय में अधिक व्यय होता है, तो उपकरणों के क्रय हेतु धनराशि का समायोजन निदेशक/वित्त नियंत्रक के अनुमोदन से कर लेगें। परन्तु यदि सूची में उल्लिखित समस्त उपकरणों के क्रय के पश्चात् कोई बचत होती है, तो उक्त बचत से अन्य उपकरणों का क्रय शासन की अनुमति के पश्चात् ही किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में बचत की धनराशि को राजकोष में जमा किया जायेगा। सूची में उल्लिखित उपकरणों के क्रय हेतु अलग से कोई अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।
11. उपकरणों का क्रय सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा। उपकरणों की विशिष्टियां, मानक एवं गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संस्थान की होगी।
12. किसी भी स्थिति में स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा।

2- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, डा0रा0म0लो0 आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा तथा कोषागार से आहरण हेतु बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेगें।

3- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-04-डा0 राममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर लखनऊ-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव।

संख्या-18/2015/45(1)/71-2-14-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त अधिकारी, डा0 रा0म0लो0 आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
6. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन को चिकित्सा शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in